पत्रांक– FW-1724/1/2026-SEC_9-.....

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेषक,

अजय यादव, भा0प्र0से0
सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला अवर निबंधक
अवर निबंधक।

पटना, दिनांक–.....

विषय :– सात निश्चय–3 "सबका सम्मान–जीवन आसान" के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट के घर बैठे निबंधन (Home Registration) हेतु मोबाईल रजिस्ट्रेशन यूनिट (MRU) का संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्यतः यह देखा गया है कि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट के निबंधन हेतु निबंधन कार्यालय आने–जाने में काफी कठिनाई होती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध निबंधन सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

सात निश्चय–3 "सबका सम्मान–जीवन आसान" के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे निबंधन (Home Registration) की विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इस निमित विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मोबाईल रजिस्ट्रेशन यूनिट (MRU) के माध्यम से उनके निवास स्थान पर निबंधन की सुविधा प्रदान किया जाना है। इस निमित विभाग द्वारा मोबाईल रजिस्ट्रेशन यूनिट (MRU) का संचालन की शुरूआत दिनांक–01.04.2026 से सम्पूर्ण राज्य में किया जाना है।

आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्यालय में निबंधित दस्तावेजों के आधार पर मोबाईल रजिस्ट्रेशन यूनिट (MRU) का गठन किया जाना है। प्रत्येक मोबाईल रजिस्ट्रेशन यूनिट (MRU) में 01 लिपिक, 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर, आवश्यकतानुसार लैपटॉप, 01 अदद् Biometric Fingerprint, 01 अदद् IRIS, 01 अदद् Finger Impression Capturing Equipment, उच्च गति Internet क्षमता से युक्त 01 अदद् डोंगल, 01 अदद् Printer एवं 01 अदद् सुसज्जित वाहन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। उक्त से संबंधित विवरणी निम्नवत् है–

1. मानवबल– 01 लिपिक एवं 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था तत्कालिक रूप से संबंधित जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक द्वारा की जायेगी। कम्प्यूटर ऑपरेटर के मानदेय पर आने वाला खर्च साईस्कोर द्वारा वहन किया जायेगा।

2. लैपटॉप– आवश्यकतानुसार (Windows Operating System Architecture-64 Bit, 16 GB RAM, Storage 512 GB, Webcam, USB, HDMI) का क्रय संबंधित जिला स्कोर द्वारा की जायेगी।

3. अन्य उपकरण– 01 अदद् Biometric Fingerprint, 01 अदद् IRIS, 01 अदद् Finger Impression Capturing Equipment, उच्च गति Internet क्षमता से युक्त 01 अदद् डोंगल, बैट्री, इंवर्टर एवं Printer आदि का क्रय संबंधित जिला स्कोर से की जायेगी।

4. परिवहन का साधन– 01 अदद् सुसज्जित वाहन की सुविधा आवश्यकतानुसार भाड़े पर संबंधित जिला स्कोर से उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः निदेशित किया जाता है कि उक्त से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अजय यादव)

सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FW-1724/1/2026-SEC_9-.....1090..... पटना, दि0–.....16-02-26.....

प्रतिलिपि– सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
बिहार, पटना।